प्रेषक,

संख्याः /XXX–2/2018/30(11)2018

राधा रतूड़ी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमाऊं/पौड़ी/नैनीताल,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 जून, 2018

विषयः– लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7घ(चार) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 7घ(चार) में अनिवार्य स्थानान्तरण के मानक में यह प्राविधान है कि ऐसे पति पत्नी जिनका एकलौता पुत्र/पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो उनकों सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट होगी। इस संबंध में कतिपय विभागों/कार्मिकों द्वारा यह स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है कि जिनके दो बच्चें हो एवं दोनों विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो तो इस स्थिति में क्या प्राविधान होगा।?

2– अतः इस संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि ऐसे पति, पत्नी जिनके एक अथवा एक से अधिक पुत्र/पुत्री विकलांगता से ग्रसित हो उन पर स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7घ (चार) के प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 130/XXX–2/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव।